न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 502 सन 2018
अनवान :–

1. सन्दीप कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. मीरा पत्नि धर्मपाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
2. सुभाष 3 रामकुमार पि0 धर्मपाल जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर
4 सुतित्रा पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
5. विमला 6 फूली पुत्रीयान नोपाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
7. कमलेश 8 राकेश पुत्र/पुत्रीया स्व शान्ति पवुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12.11.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा श्योरानी के खाता संख्या 90/95 के खसरा न0 203 की 6.1520हैक , खसरा न0 367 की 0.880हैक , खसरा न0 487/328 की 15.8760हैक भूमि स्थित है जिसके नोपाराम पुत्र मगारमा जाति जाट खातेदार काश्तकार थे।

नोपाराम पुत्र मगाराम का देहान्त हो चुका है उसकी धर्मपन्नी धन्नीदेवी का भी देहानत हो चुका है एवं उसके एक पुत्र धर्मपाल एवं एक पुत्री शान्ति भी फोत हो चुकी है धर्मपाल के वारिस धर्मपाल की पत्नि मीरादेवी , पुत्री सुमित्रा, पुत्र सन्दीप कुमार , सुभाष , राजकुमार है तथा शान्ति के वारिस पुत्र कमलेश , राकेश है एव धन्नी के अन्य वारिस पुत्री फुली , विमला है। अर्थात नोपाराम व उसकी पत्नि व उसके पुत्र धर्मलपा , शान्ति के देहान्त होने के बाद जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जायज वारिसान है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 परिवारिक सदस्य है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष मे त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे वादी का वाद डिक्री किया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उसके दादा नोपाराम के नाम से दर्ज थी जिनका एव उसकी पत्नि धन्नीदेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जाजय वारिसान पुत्र धर्मपाल , पुत्रीया शान्ति, फुली, विमला हुए जिसमें से पुत्र धर्मपाल , एवं पुत्री शान्ति का देहान्त हो चुका है एवं धर्मपाल के वारिस सन्दीप कुमार , सुभाष , राजकुमार है तथा शान्ति के वारिस कमलेश एव राकेश है अर्थात नोपाराम के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नोपाराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो गया नोपाराम की धर्मपत्नि धन्नीदेवी का भी देहानत हो गया है जिनके जायज वारिसान पुत्र धर्मपाल , पुत्रीया शान्ति, फुली, विमला हुए जिसमें से पुत्र धर्मपाल , एवं पुत्री शान्ति का देहान्त हो चुका है एवं धर्मपाल के वारिस सन्दीप कुमार , सुभाष , राजकुमार है तथा शान्ति के वारिस कमलेश एव राकेश है अर्थात नोपाराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो वाद भूमि के हकदार है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के परिवारिक सदस्य है ने अपने हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है व राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी कांबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 90/95 की कुल 16.9260हैक में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है। तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12-11-18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

SAzaidi

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official